

क्रमांक: 657...
राजस्थान प्राधिकरण भवन, जयपुर ।

दिनांक: 6/7/83

आद संख्या-1/82/3 अन्तर्गत राजस्थान भूमि अधिप्ति अधिनियम 1953
(अधिनियम संख्या 24, वर्ष 1953)

विषय:- सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
की लोडाला-सांगानेर आवासीय योजना हेतु तहसील
सांगानेर के ग्राम खुआलपुरा में निम्नलिखित खेत नम्बर
13/7-05, 119/1-04, 120/1-16, 121/0-18,
122/0-02, 123/0-4, 124/1-07, =12 बीघा
5 बिस्वा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा घोषित करने
के संबंध में ।

पक्षकार:-

1. हरिनारायण पुत्र सूरज नारायण
2. बदी नारायण पुत्र सूरज नारायण
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र सूरज नारायण

जाति ब्राह्मण नाकिन खुआलपुरा तहसील सांगानेर ।

द्वारा श्री रामचन्द्र शर्मा, अभिभाषक

4. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा श्री दीनदयाल शर्मा, अभिभाषक

राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने राजस्थान
आवासन मण्डल, जयपुर जिसे आगे मण्डल कहा गया है) की लोडाला-सांगानेर
आवासीय योजना हेतु भूमि अधिप्ति करने की दृष्टि से राजस्थान भूमि अधिप्ति
अधिनियम 1953 (अधिनियम संख्या 24, वर्ष 1953) जिसे आगे अधिनियम कहा
गया है) की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 772 नबिआ/ग्रुप-2/81
दिनांक 12.1.82 जारी की जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के भाग 1 ख
में दिनांक 13.1.82 को हुआ । इस अधिसूचना में तहसील सांगानेर के छः ग्रामों
की 2570.15 बिस्वा भूमि शामिल की गई जिसमें खुआलपुरा की 807 बीघा
6 बिस्वा भूमि है । सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि की अधिप्ति की अति आवश्यकता
को देखते हुए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि की अधिप्ति अधिनियम 1953 के
सम संख्या अधिसूचना दिनांक 12.2.82 के अधिनियम की धारा 17 की उप धारा
4 में प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में धारा 5 ए के प्रावधानों से इस अधिप्ति की
कार्रवाई को मुक्त करते हुए धारा 6 के अन्तर्गत घोषित किया कि भूमि की अधिप्ति

विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर-3

.....2/-

की आवश्यकता है उक्त अधिपूचना का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र के भाग 1, 1982 में दिनांक 12.2.82 को हुआ। इसी अधिपूचना के द्वारा अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 1 के अन्तर्गत अनुसरण में विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सी-79 बस स्थल, तिलक नगर जयपुर को निर्देश प्रदान किये कि धारा 9(1) में उल्लेखित 15 दिवसीय नोटिस की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् पूर्वोक्त भूमि का कब्जा लिखा जाये। इस अधिपूचना के प्रसारित एवं राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् तहसीलदार सांगानेर ने अधिपूचना के अन्तर्गत आजी भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। तबसे खातेदारों, हितधारी व्यक्तिओं जिन्हें आगे दावेदार कहा गया है) को अधिनियम की धारा 9(1) की 15 दिवसीय नोटिस अधिपूचना में आजी भूमि का कब्जा राज्य सरकार को सम्भालने हेतु सार्वजनिक रूप से दिया गया एवं समूह स्थानी पर प्रकाशित करवाया गया। उक्त 15 दिवस की अवधि निकल जाने के पश्चात् दिनांक 22.5.82 को ग्राम सुजालपुरा तहसील सांगानेर की उक्त अधिपूचित 807 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 726.19 बीघा भूमि का कब्जा मौके पर लिखा जाकर मौके पर ही मण्डल के प्रतिनिधि श्री ओ०पी०बोहरा आवासीय अभिकृता को सौंपा दी गयी। ग्राम सुजालपुरा की बाकी भूमि का कब्जा राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 29.4.82 द्वारा जारी स्थान आदेश के कारण नहीं लिखा गया। उक्त कब्जे में ली गयी 726 बीघा 19 बिस्वा भूमि में बह 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि भी शामिल है। जिसका आज अर्द्ध दिया जा रहा है। इस भूमि की खातेदारी उक्त दावेदारों में राजस्थान जमा-बंदी के अनुसार निम्न प्रकार दर्ज है :-

1. हरिनारायण वृत्र बदीनारायण

खसरा नम्बर 121, 123 मीन
120 मीन-कुल रकबा 1 बीघा
13 बिस्वा

2. बदीनारायण वृत्र सूरज नारायण

खसरा नम्बर 123 मीन, 124
कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा

3. लक्ष्मीनारायण वृत्र सूरज नारायण

खसरा नम्बर 13, 119, 120 मीन
कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा

4. बदीनारायण, लक्ष्मीनारायण
वृत्र सूरज नारायण

खसरा नम्बर 122, कुल रकबा
2 बिस्वा

वर्णित भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् उक्त दावेदारों को शामिल करते हुए तबसे दावेदारों को धारा 9 की उप धारा 3 का 15 दिवसीय नोटिस अपने हित एवं हक प्रस्तुत करने हेतु दिया। इस अर्द्ध में शामिल उक्त उतीनों

दावेदारों ने अपने-अपने हक व हित के प्रति जो क्लेम प्रस्तुत किये हैं वे जहां तक दलों का संबंध है, यथाम है। खसरा नम्बर 122 की 2 बिस्वा भूमि पर बना कुआं शामिल होने से एक ही शामिल-क्लेम प्रस्तुत किया गया है जो ब-हिस्सा बराबर मांगा गया है। अतः तीनों के सामूहिक क्लेम मारांश में निम्न प्रकार है:-

- | | |
|--|--------------------------------|
| 11॥ खसरा नम्बर 122 की भूमि की कीमत | ₹ 60,000/- प्रति बीघा की दर से |
| 12॥ खसरा नम्बर 122 स्थित कूप, बोरिंग, पाईप एवं उस पर बने बिजलीघर की कीमत | ₹ 64,500/- |
| 13॥ बाकी खसरान की कीमत | ₹ 45,000/- प्रति बीघा |
| 14॥ भूमिपोटेन्सियल भूमि बेल्ड | ₹ 15,000/- प्रति बीघा |
| 15॥ खसरा नम्बर 123, 124 की भूमि को समतल करने में | ₹ 5,000/- |
| 16॥ खसरा नम्बर 13 एवं 119 और 120 की भूमि को समतल करने में | ₹ 15,000/- |
| 17॥ खसरा नम्बर 123, 124 की भूमि के चारों तरफ बने डोले की कीमत | ₹ 640/- |
| 18॥ खसरा नम्बर 13, 119 एवं 120 की भूमि के चारों तरफ बने डोले की कीमत | ₹ 4,000/- |
| 19॥ पानी के बूलों की कीमत | ₹ 24,000/- |
| 10॥ बेड़ों की कीमत | ₹ 21,875/- |
| 11॥ अनिवार्य अबाप्ति के कारण अतिरिक्त राशि | 10 प्रतिशत |
| 12॥ अबाप्ति की कार्यवाही पर होने वाला व्यय | 5 प्रतिशत |
| 13॥ मुआबजे की राशि पर व्याज | 6 प्रतिशत की दर से |
| 14॥ खेती के धन्दे हेतु कृषि भूमि का आबंटन | |
| 15॥ आवासीय प्रयोजन हेतु एक-एक हजार वर्ग गज के भूखण्ड का आबंटन | |

खसरा नम्बर 121 के 18 बिस्वा भूमि के संबंध में दावेदारों ने कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। उक्त दावेदारों ने वर्णित अबाप्ति के विरुद्ध भी निम्न आपत्ति का प्रस्तुत की है :-

67
11। प्राप्ति को अधिनिष्पन्न की धारा
4 से 6 की नाना नहीं दी गयी
जो अनिवार्य है

12। भूमि विकसित होने के कारण
इसकी कीमत बहुत बढ़ गयी है
अतएव अस्वाप्त किया जाना
लाभप्रद नहीं है।

13। आवासीय मण्डल हेतु भूमि का अस्वाप्त
किया जाना वित्तिक परमल की
परिभाषा में नहीं आता है।

उक्त कलेम्स के पक्ष में दावेदारों ने निम्न दस्तावेज प्रमाण के रूप में
प्रस्तुत किये हैं :-

1। निष्पन्न पत्र	1/1/71, 18/7/72, 9/8/71
2। नकल गिरदावरी	संवत् 2034 से 2038 तक
3। नकल जमा बन्दी	संवत् 2025 से 2028 तक
4। नकल नामान्तरण	दिनांक 23.8.73

मण्डल ने उक्त दावेदारों द्वारा प्रस्तुत कलेम्स को गलत मानते हुए
इनके प्रति अपनी असहमति दी है। भूमि की कीमत के 10,000/- प्रति बीघा
माना है तथा मण्डल के आवासीय अभिवृत्ता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अनुमानों
के अनुसार निम्न प्रकार मुआवजे की राशि देय होना बताया गया है। यह
तकनीकी अनुमान खसरा नम्बर 119 से 124 की भूमि में बने कूँ, उगे हुए पेड़
का बने हुए मिट्टी के ढोले के सम्बन्ध में है, जो निम्न प्रकार है :-

1. मिट्टी के ढोले की कीमत	₹ 1,007.50 पेरे
2. पेड़ों की कीमत	₹ 2,150/-
3. कुआ मख बोरिंग होदी नाली एवं घुमटी आदि	₹ 33,877.80 पेरे
4. खसरा नम्बर 119 से 124 में एक और कुआ होना बताते हुए	₹ 35,100/-

मण्डल ने उक्त तीनों दावेदारों के प्रस्तुत कलेम्स के प्रति तीन जवाब
प्रस्तुत किये हैं। प्रत्येक जवाब में पेड़ों के 4300 ₹, मिट्टी के ढोले के 1,010 ₹
77 पे 0 एवं सीमेंट के 150 ₹ प्रत्येक के प्रति स्वीकार किये हैं। लेकिन
आवासीय अभिवृत्ता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अनुमानों के अनुसार मिट्टी के ढोले

का अनुमान 1,007.50 पे 0, एवं पेड़ों के 2150 ₹ बताये हैं। सीमेंट के 150 ₹
का अनुमान किसी भी अनुमान में नहीं है। मण्डल द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अनुमानों

के अनुसार खसरा नम्बर 119 से 124 में दो कूँ बताये गये हैं जबकि वास्तव में का बना कुआ
एक ही कुआ स्थित है। खसरा नम्बर 13 में एक कुआ सीमेंट का बना हुआ है।
लेकिन कोई अनुमान बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 13 की

खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2037 में इसी खसरा की जमा बन्दी में निम्न
गैर मुम्किन चाह है। गैर मुम्किन चाह का तात्पर्य कूँ से ही होता है जिसके
निर्माई होती है।

पत्रावली का एवं प्रस्तुत पत्रों का अवलोकन किया। मोका निरीक्षण किया गया। दावेदारों की ओर से उपस्थित श्री राम चन्द्र शर्मा एवं मण्डल की ओर से उपस्थित श्री दीनदयाल शर्मा अभिभाषकगणों की सहमति हुई। प्रस्तुत समस्त कोष पर विचार कर निम्न प्रकार उन पर निर्णय दिया जाता है :-

1. तीनों दावेदारों की खेरा नम्बर 13 व 119 से 124 की कुल 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि है। दावेदारों ने खेरा नम्बर 121 की 18 बिस्वा भूमि का कोई कोष प्रस्तुत नहीं किया। दावेदारों ने अपनी भूमि की किमत 45,000/- प्रति बीघा से ₹60,000/- प्रति बीघा तक की दर से मांगी है जब कि मंडल ने केवल ₹10,000/- प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित बताया है। दावेदारों ने बहुत बड़ा चढ़ा कर अपनी मांग प्रस्तुत की है तथा आवाजन मण्डल द्वारा उचित दृष्टि-कोण को नहीं अपनाते हुए कम दर मांगी गयी है। यह सही है कि राजस्व रेकार्ड में यह सब भूमि बारानी दर्ज है। केवल कुछ बीघों की खेरा नम्बर 13 एवं 122 की कुल 2 बिस्वा भूमि पर कुम्हिन आह है। मौके पर कुओं से इस भूमि की सिंगई होती है तथा रबी एवं जरीफ दोनों फसलें पैदा होती है। इनके देखते हुए इस समस्त भूमि का उपयोग आही भूमि की तरह का है। राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टियां बहुत पुरानी है जो नये बंदोबस्त होने पर ही बदली जायेगी लेकिन यह पूर्णतया अनुचित होगा अगर मौके पर भूमि की वर्तमान उपयोगिता को ध्यान में नहीं रखते हुए केवल राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म के आधार पर इसे बारानी भूमि मानकर इसकी कीमत तय की जाये। यह भूमि मुख्य-सोडाला चक्के सागानेर रोड से दूर है। इसके आसपास इस समय कोई आवाजी बस्ती अथवा व्यवसायिक अथवा औद्योगिक केन्द्र नहीं है। अतः इसकी कोई अन्य पोटेंशियल बेल्ट इस वक्त नहीं बनती है। भविष्य में, मण्डल द्वारा इस पर करोड़ों ₹ व्यय कर अपनी आवाजी योजना के निर्माण के पश्चात इस क्षेत्र की पोटेंशियल बेल्ट बढ़ सकती है लेकिन वर्तमान में तो इसका उपयोग एवं इसकी अमिता कृषि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दावेदारों ने ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जिसके आधार पर इस भूमि की अबाप्त किसे जाने के समस्त किसी सामान्य बाजार दर निकाली जा सके। ऐसी स्थिति में भूमि की राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म, इस पर बने दो कुओं से इसकी सिंगई किसे जाने के फलस्वरूप इसकी वर्तमान उपयोगिता एवं मण्डल की इसी योजना हेतु इस क्षेत्र में अबाप्त अन्य इसी प्रकार की भूमियों को दिये जाने वाले मुआवजे की दरों को ध्यान में रखते हुए इसकी दर 19,000/- (उननीच हजार रुपये) प्रति बीघा तय की जाती है जिसमें इसकी वर्तमान पोटेंशियल बेल्ट भी शामिल है।

2. खेरा नम्बर 13 की एक बिस्वा व खेरा नम्बर 122 की 2 बिस्वा भूमि पर दो कुएँ हैं। इनमें वर्णित समस्त भूमि की सिंगई होती है। एक कुआ जीनेन्ट का तथा दूसरा पत्थर का बना हुआ है। मण्डल ने खेरा नम्बर 13 में बने कुएँ का कोई अनुमान नहीं बताया है लेकिन खेरा नम्बर 119 से 124 के अनुमानों में 2 कुएँ शामिल किसे गये हैं। उनमें से एक कुआ बास्व में खेरा नम्बर 13 का ही है। जो मंडल ने उक्त 119 से 124 के खेरा नम्बर के अनुमानों में अंकित हो गया है। इसी योजना के अन्तर्गत बास बास के अनेक क्षेत्रों की



आप्त शुद्ध भूमि में बने कुओं की कीमत मक बोरिंग, बिजली घर, घुमटी आदि 29,000/- से 30,000/- तक बांकी गयी है। बर्तमान कुओं के अनुमान कुछ अधिक प्रतीत होते हैं जबकि एक कुआ तो बस्थरों का बना हुआ है जो सीमेंट के कुरे से सिखा बनता है। ऐसी स्थिति में खेपरा नम्बर 122 के कुरे की कीमत जो मक बोरिंग व घुमटी बस्थर का बना हुआ है, 27,000/- तथा 2 बिस्वा भूमि की कीमत इसकी किस्म गैर मुम्कीन चाह होने के कारण 20,000/- प्रति बीघा की दर से 2,000/- कम की जाती है। खेपरा नम्बर 13 में स्थित कुरे की कीमत जो सीमेंट का बना हुआ है मक बोरिंग घुमटी 29,000/- तक की जाती है। बिस्वा भूमि की कीमत उपर्युक्तानुसार 20,000/- प्रति बीघा की दर से 1000/- तक की जाती है।

3. मौके पर कुल 22 पेड़ हैं 18 अरु के, 3 बंबूल व 1 शहतूत का। इनकी कीमत मण्डल द्वारा 2150/- नहीं आंकी गयी है। 100/- प्रति पेड़ बंबूल एवं अरु के तथा 50 रु प्रति पेड़ शहतूत के इसके 2150 रु स्वीकार किये जाते हैं। तीनों दावेदार इस राशि को आपस में बांट लें। उल्लेख

4. डोले की कीमत मण्डल के आबासीय अभिप्राय द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर रु 1,010.77 पे 0 स्वीकृत किये जाते हैं जो तीनों दावेदार बहिस्सा बराबर बांट लें।

5. बानी की चिकनी नाली जो खेपरा नम्बर 122 दो बिस्वा भूमि पर बनी हुई है, की कीमत मण्डल के तकनीकी अनुमान के अनुसार 600/- स्वीकृत किये जाते हैं।

6. बानी की एक होद के मण्डल के तकनीकी अनुमानों के अनुसार रु 185/- स्वीकार किये जाते हैं।

7. उक्त सभी खेपरा नम्बरों की भूमि में कोई भवन अथवा बाग आदि नहीं होने के कारण दावेदार अधिनियम की धारा 23 (2) के परन्तुक में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं होने के कारण उनकी यह मांग अस्वीकार की जाती है। भूमि अवाप्ति के संबंध में दावेदार द्वारा दिये गयी राशि के प्रति मुआवजे की राशि पर 5 प्रतिशत की राशि के भुगतान करने के पक्ष में दावेदार के योग्य अभिप्राय है कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं बताता कि जिसके अन्तर्गत यह देय बनता है। इसके अतिरिक्त, इस मांग की कोई औचित्यता भी प्रतीत नहीं होती है। अतः इसे निरस्त किया जाता है।

8. आबासीय मण्डल के आबण्टन की मांग के संबंध में तीनों दावेदारों के ग्राम मुख्यालय की सिविल-नक भूमि में आबासीय भवन है जो अवाप्ति में आये हैं। जिसके मुआवजा तब करो वक्त इस मांग पर विचार कर उचित आदेश दिये जायेंगे।

जहाँ जहाँ इस मांग को निरस्त किया जाता है।

जहाँ जहाँ कृषि भूमि के आवंटन का प्रश्न है, इसके लिये दावेदारों को निम्नानुसार
अधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इस मांग का इस अर्द्ध में
निर्णय नहीं होने के कारण यह अस्वीकार की जाती है।

10. भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध इस वक्त की गयी आपत्तियाँ अनावश्यक है। भूमि को
अधिग्रहण के धारा 17 की उपधारा 4 एवं 1 के प्रावधानों के अनुसरण में अतिरिक्त
में अग्रिम कर ^{रकबा} लगा लिया जा रहा है तथा अब प्रयोग केवल अर्द्ध घोषित करने
का ही है। अतः इनके इस तर्ज में अस्वीकार किया जाता है।

11. दावेदारों को मिलने वाली मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत की वार्षिक दर
साधारण ब्याज 22.5.82 से 6.7.83 तक की अवधि का स्वीकृत किया जाता है।

प्रकार क्रमांक 13, 119, 120, 121, 122, 123, 124, के मुआवजे के प्रति दावे-
दारों को फल में वसूल प्रकार अर्द्ध घोषित किया जाता है :-

श्री धनीनारायण पुत्र श्री मुरजनारायण का मुआवजा

1. अ- खस नम्बर 13 की 1 बिस्वा गैर

₹ 29,000/-

मुमकिन भूमि पर कुये (खातेदार लक्ष्मी
नारायण पुत्र मुरज नारायण) की मीत

1 बिस्वा भूमि की कीमत 20,000/-

₹ 1,000/-

प्रति बीघा की दर से

खस नम्बर 13 रकबा 7 बीघा

₹ 1,67,200/-

4 बिस्वा, खस नम्बर 119

1 बीघा 4 बिस्वा, खस नम्बर

120 मीन 8 बिस्वा कुल रकबा

8 बीघा 16 बिस्वा, दर 19,000/-

योग ₹ 1,97,200/-

प्रति बीघा से

ब- दिनांक 24.5.82 से 6.7.83 तक

₹ 8,853/-

4 प्रतिशत की वार्षिक दर से

साधारण ब्याज

कुल योग

₹ 2,06,053/-

अ- खस नम्बर 122 की 2 बिस्वा

₹ 2,000/-

गैर मुमकिन चाह की भूमि की

कीमत 20,000/- प्रति बीघा की

दर से

- कुये की कीमत मज बोरिंग, घुमटी

₹ 27,000/-

आदि

ब्रिक वेनल

₹ 600/-

वाटर टैंक

₹ 185/-

योग

₹ 29,785/-

५७.५

विवरण

..... 8

78

71

योग 29,785/-

4 प्रतिशत की वार्षिक दर से माधारण ब्याज
22.5.83 से 6.7.83 तक

1,329/-

कुल योग 31,114/- (बहिष्ता बराबर)

5. श्री बद्रीपाराशर पुत्र सुरजनारायण
खेरा नंबर 123 मिन रकबा 6
हिस्सा फ खेरा मन्वर 124
रकबा 1 पीछा 7 हिस्सा,
1 पीछा 3 हिस्सा

भूमि की कीमत 19,000/- प्रति
बीघा की र से

₹ 31,550/-

4 प्रतिशत व वार्षिक दर से ब्याज
की कीमत 2.5.83 से 2.7.83
तक

₹ 1,405/-

₹ 32,755/-

4. हरिनारायण पुत्र सुरजनारायण
खेरा नं R1 123 मिन

120 मिन 18 00.7
बीघा 13 हिस्सा
00.08

भूमि की की 19,000/- प्रति
बीघा की र से

4 प्रतिशत की वार्षिक दर से माधारण ब्याज
कीमत 22.5.82 से 2.2.83 तक

₹ 1,405/-

₹ 32,755/-

मिट्टि के डोले की कीमत देखो

₹ 1,008/-

डो की कीमत

₹ 2,150/-

योग ₹ 3,158/-

माधारण ब्याज 4 प्रतिशत की वार्षिक
दर से 22.5.82 से 2.7.83 तक

₹ 130/-

कुल योग 3,288/-

उक्त 3,288/- की राशि सीनो दावेदारों में ब-हिस्सा बराबर बाटते
क वो 1,096/- की राशि दी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक दावेदार
उ की राशि उसके नाम के आगे अंकित की जाती है। जिसका उको भु
ना है



बिरोडा कारी

बिरोडा कारी

बिरोडा कारी

...

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरज नारायण

2,17,520.33 ₹0

2. बद्रीनारायण पुत्र हरजनारायण

44,222.33 ₹0

3. हरीनारायण पुत्र हरजनारायण

44,222.33 ₹0

कुल योग

3,05,964.99 ₹0

अर्थात्

3,05,965.00

इस प्रकार, तीन लाख बाईस हजार नौ सौ पचास रुपये का अर्बाई घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के अन्तर्गत यह अर्बाई शामिल मिले हो। उप धारा 2 का नोटिस तीनों दावेदारों को दिया जावे। इसकी एक-एक प्रति शायन मन्चिक नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर, मन्चिक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर तथा तहसीलदार जंगानेर को प्रेषित हो।

आज दिनांक 6.7.83 को जूले न्यायालय में यह अर्बाई मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया।



जयप्रकाश गोयल

जयप्रकाश गोयल

विशेष अधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
जयपुर, जयपुर-1
राजस्थान